No. 22011/1/2005-Estt (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

....

New Delhi 110001
October 27, 2005

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Crucial date for determining eligibility in cases where no qualifying service is prescribed in the Recruitment Rules for promotion to the next higher post-regarding

...

Crucial date has been prescribed as a fixed reference date for determining the eligibility of the officers in terms of the relevant Service/Recruitment Rules for inclusion in the panel for promotion against vacancies arising in the given vacancy year. In terms of DoPT O.M.No. 22011/9/98-Estt (D) dated September 8 1998 (para 9), crucial date for determining eligibility in case of financial year based vacancy year is ***1st January*** immediately preceding such vacancy year. In the case of calendar year based vacancy year also, prescribed crucial date is the first day of the vacancy year i.e. ***1st January***.

2. For promotion from the grade of Rs. 22,400-24, 500 to the grade of Rs. 22,400-26,000; from Rs. 22,400-26,000 to Rs. 24,050-26,000 and from Rs. 22,400-24,500 to Rs. 24,050-26,000 in Group 'A' Services/posts, no minimum eligibility service has been prescribed. There is also generally no other additional eligibility condition prescribed in this regard. Therefore, a question has been raised whether the crucial date will be applicable in such cases.

3. Matter has been examined. Given the context, in which the crucial date has been prescribed, the crucial date will have no relevance in such cases. Accordingly, it has been decided that crucial date will not be applied while considering the case of promotion from the grade of Rs. 22,400-24, 500 to the grade of Rs. 22,400-26,00; from Rs. 22,400-26,000 to Rs. 24,050-26,000 and from Rs. 22,400-24,500 to Rs. 24,050-26,000 in Group 'A' Services / posts and officers who are

contd../.

holding the post(s) in the lower grades on regular basis as on the date of meeting of the DPC can be considered by the DPC for promotion. If, however, in any particular service/cadre, some other eligibility condition is prescribed for promotion in above grades, the same will need to be fulfilled as on the crucial date.

(Alok Saxena)
Director

To

All Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:-

1. The President's Secretariat, New Delhi.
2. The Prime Minister's Office, New Delhi
3. Cabinet Secretariat, New Delhi.
4. Rajya Sabha Secretariat/ Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
5. The Registrar General, Supreme Court of India.
6. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.
7. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
8. Union Public Service Commission, New Delhi with reference to UPSC letter No. F.1/15(35)/2004-AP-2 dated 24.12.2004
9. Staff Selection Commission, New Delhi.
10. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
11. National Commission for SCs, New Delhi.
12. National Commission for STs, New Delhi.
13. Secretary, National Council(JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi
14. Establishment Officer & A.S.
15. National Commission for OBCs, New Delhi.
16. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training.
17. Facilitation Center, DoP&T(**20 copies**).
18. NIC (DoP&T) for placing this Office Memorandum on the *Website* of DoP&T
19. Establishment (D) Section (50 **copies**).

****

संख्या-22011/1/2005-स्थापना (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 27 अक्तूबर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ऐसे मामलों जिनमें भर्ती नियमों में अगले उच्च पद पर पदोन्नति हेतु अर्हक सेवा निर्धारित नहीं होती उनमें पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख।

किसी रिक्ति वर्ष में होने वाली रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु पैनल में शामिल किए जाने के लिए संगत सेवा/भर्ती नियमों की शर्तों के अनुसार अधिकारियों की पात्रता निर्धारित किए जाने हेतु एक निश्चित सदर्भ तारीख के रूप में निर्णायक तारीख निर्धारित की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-22011/9/98-स्थापना (घ) (पैरा-9) में निहित शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष आधारित रिक्ति वर्ष के मामले में पात्रता निर्धारण की निर्णायक तारीख ऐसे रिक्ति वर्ष के तत्काल आने वाली प्रथम जनवरी होगी। कैलेण्डर वर्ष आधारित रिक्त वर्ष के मामले में भी निर्धारित निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी होगी।

2. समूह 'क' में 22400-24500 रुपये के ग्रेड से 22400-26000 रुपये के ग्रेड में, 22400-26000 रुपये के ग्रेड से 24050-26000 रुपये के ग्रेड में तथा 22400-24500 रुपये के ग्रेड से 24050-26000 रुपये के ग्रेड के सेवाओं/पदों पर पदोन्नति हेतु कोई न्यूनतम पात्रता सेवा निर्धारित नहीं की गई है। इस संबंध में आमतौर पर कोई अतिरिक्त पात्रता शर्त भी निर्धारित नहीं है। अत: ऐसे मामलों में निर्णायक तारीख के लागू किए जाने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है।

3. मामले की जाँच की गई है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि, जिसमें निर्णायक तारीख निर्धारित की गई है ऐसे मामलों में निर्णायक तारीख की कोई संगतता नहीं होगी। तद्नुसार यह निर्णय किया गया है कि समूह 'क' में 22400-24500 रुपये के ग्रेड से 22400-26000 रुपये के ग्रेड में, 22400-26000 रुपये के ग्रेड से 24050-26000 रुपये के ग्रेड में तथा 22400-24500 रुपये के ग्रेड से 24050-26000 रुपये के ग्रेड के सेवाओं/पदों पर

पदोन्नति पर विचार करते समय निर्णायक तारीख लागू नहीं होगी तथा ऐसे अधिकारी जो स्थायी आधार पर निम्न ग्रेड के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तारीख को कार्यरत है उनकी पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति विचार कर सकती है। फिर भी, यदि, किसी विशेष सेवा/संवर्ग में, ऊपर के ग्रेड में पदोन्नति हेतु अन्य कोई पात्रता शर्त रखी गई है तो निर्णायक तारीख को उसे पूरा किया जाना अपेक्षित होगा।

(आलोक सक्सेना)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. मंत्रिमण्डल सचिवालय नई दिल्ली ।
4. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय नई दिल्ली ।
5. महापंजीयक , भारत का उच्चतम न्यायालय।
6. पंजीयक, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली ।
7. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
8. संघ लोक सेवा आयोग को उनके दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 के पत्र सं. एफ.1/15(35)/2004-ए.पी.-2 के संदर्भ में।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय के अन्तर्गत सभी संबद्ध कार्यालय ।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली ।
12. अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
13. सचिव, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र , राष्ट्रीय परिषद, 13, फीरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली ।
14. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव
15. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली ।
16. कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
17. सूचना सुविधा काउंटर, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग **(20 प्रतियाँ)** ।
18. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) को यह कार्यालय ज्ञापन, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग की वेबसाईट पर सुलभ करवाने हेतु ।
19. स्थापना (घ) अनुभाग **(50 प्रतियाँ)** ।